फर्द अहकाम

अदालत उप जिला कलेक्टर — मुकाम गंगापुर सिटी

भम्बलचंद — बनाम — रमेश वगैरा

दावा — मुकदमा नं0 137/2019 — सन्

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	05.11.2019 यह दावा वादी भम्बलचंद पुत्र रामलाल जाति गुर्जर निवासी महूँकलां तह0 गंगापुर सिटी की ओर से श्री राजेन्द्र कुमार मिश्र, एडवोकेट ने हमारे समक्ष पेश किया। वादी के वकील को सुना गया। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी जरिए नोटिस की जावे। पत्रावली दिनांक 25.11.2019 को पेश हो। उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी	
	25.11.19 वकील वादी उप० है। प्रतिवादी नं0 1 व 2 की ओर से श्री विकास कुलश्रेष्ठ एडवोकेट ने वकालतनामा प्रस्तुत किया एवं जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया। प्रतिवादी नं० 3 व 4 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आए, उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाती है। वकील उभयपक्ष वादग्रस्त भूमि का विभाजन कराने पर सहमत है। अत: दावा प्राथमिक डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली में तहसीलदार गंगापुर सिटी से विभाजन स्कीम मंगवाई जाकर पत्रावली दि0 18-12-2019 को पेश हो। उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी (स0मा0)	

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व ता अहकाम जो हुक्म की ता में जारी हु
18-12-19	पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्र अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उ त उपस्थित हैं/अनुपस्थित है। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/अवकाश पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानान्तरण हो गया है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 22-1-2020 को पेश हो। रीडर	
22-1-20	पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/ अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी उभयपक्ष उपस्थित हैं/अनुपस्थित है। श्री पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/अवकाश पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त है/का स्था गया है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दि 19-2-20 को पेश हो। रीडर	
19-2-2020	वकील उभयपक्ष उप० तहसीलदार गंगापुर सिटी से विभाजन स्कीम तलब की जाकर पत्रावली दि० 28-2-2020 को पेश हो।	
28-2-2020	वकील उभयपक्ष उपस्थित है। तहसीलदार गंगापुर सिटी से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार वादी व प्रतिवादी नं० 1, 2 विभाजन करवाना नहीं चाहते हैं। इससे वकील उभयपक्ष भी सहमत है। अतः इस दावा पत्रावली में कार्यवाही इसी स्टेज पर समाप्त की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सहा० जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी (स०मा०)	

निर्णय न्यायालय श्री विजेन्द्र कुमार मीना, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
137/2019	5.11.2019	25.11.2019

सब्बलचन्द पुत्र रामलाल, गुर्जर निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी

——वादी

बनाम

1. रमेश पुत्र रामलाल, गुर्जर निवासी महूकलां तहसील गंगापुरसिटी
2. सत्येश पुत्र रामलाल, गुर्जर निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
3. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी
4. उप पंजीयक, तहसील गंगापुर सिटी

——प्रतिवादीगण

दावा विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :—श्री कृष्ण गोपाल शर्मा, एडवोकेट, वादी की ओर से

श्री विकास कुलश्रेष्ठ, एडवोकेट, प्रतिवादी सं0 1, 2 की ओर से

निर्णय

वादी ने वादपत्र इस आशय का पेश किया है कि भूमि ख0नं0 751 रकबा 0.44 हैक्टर ग्राम महूकलां वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 2 की खातेदारी की भूमि है जिसमें पक्षकारों का मुताबिक रिकार्ड हिस्सा दर्ज है। पक्षकारों ने भूमि का मौके पर विभाजन कर रखा है। वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 के परिवार काफी बढ चुके हैं इस कारण आये दिन उक्त भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद होता रहता है एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 भूमि को अन्य दीगर व्यक्तियों को बेचने की धमकी देते रहते हैं। वादी ने भूमि का विभाजन कराने हेतु प्रतिवादी सं0 1 व 2 को कहा परन्तु वे टालते रहे। दिनांक 23.10.2019 को प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने उक्त भूमि में अपने हिस्से की भूमि विक्रय करने की वादी को धमकी दी। अतः वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का दावा प्रतिवादीगण के विरूद्ध डिक्री फरमाया जाकर भूमि ख0नं0 751 ग्राम महूकलां का वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन किया जाकर वादी के हिस्से का खाता पृथक से दर्ज किया जावे। प्रतिवादी सं0 1 व 2 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे वादी की भूमि के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करें और ना ही किसी अन्य से करावें तथा उक्त भूमि को किसी अन्य को रहन वय नहीं करें ना उक्त भूमि में किसी तरह का कोई निर्माण करें।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने जबाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया। इसमें प्रतिवादीगण ने अंकित किया है कि वादग्रस्त भूमि में वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 का हिस्सा 1/3, 1/3 रहा है। भूमि का अभी विभाजन नहीं हुआ है एवं भूमि की सीमाओं को लेकर आज तक कोई विवाद नहीं हुआ है। वादी स्वयं की नियत खराब है और वह अपने दोनों भाईयों को भूमि में उनका हिस्सा नहीं देना चाहता है। प्रतिवादीगण ने वादी से अपना हिस्सा अलग कराने के लिए कहा तो वादी ने नाराज होकर यह प्रकरण प्रस्तुत कर दिया है। प्रतिवादीगण सदैव ही भूमि का विभाजन कराने को तत्पर हैं। वादी की स्वयं की नियत खराब है और वह जानबूझकर वादग्रस्त भूमि का विभाजन नहीं करवाना चाहता है। भूमि के विभाजन हेतु प्रतिवादीगण अपना काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर रहे हैं। अतः जबाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी के दावे में वर्णित अनुतोष "क" तथा प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 के मध्य भूमि ख0नं0 751 रकबा 0.44 है0 ग्राम महूकलां का सरस नरस के आधार पर विभाजन कर दिया जावे तथा बाद विभाजन खाता पृथक पृथक कर समस्त राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किए जाने में मिन जबाबदारान को कोई आपत्ती नहीं है।

वादपत्र के समर्थन में वादी ने नकल जमाबंदी सं0 2073 से 2076 ग्राम महूकलां प्रस्तुत की है।

दिनांक 25.11.2019 को उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण इस बात पर सहमत हुए कि प्रस्तुत वाद में भूमि ख0नं0 751 ग्राम महूकलां का रेकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 व 2 के मध्य सरस नरस से विभाजन करने हेतु विभाजन स्कीम तहसीलदार गंगापुर सिटी से मंगवा ली जावे।

चूंकि वादग्रस्त भूमि ख0नं0 751 रकबा 0.44 है0 ग्राम महूकलां वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 व 2 की खातेदारी में दर्ज है जिसमें तीनों ही पक्षकारों का हिस्सा 1/3, 1/3 दर्ज है। पक्षकारान भूमि के विभाजन हेतु विभाजन स्कीम मंगवाने पर सहमत हैं। फलस्वरूप वादी का दावा एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 का काउन्टर क्लेम स्वीकार कर दावा प्राथमिक डिक्री किया जाना एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी से उपरोक्त वर्णित भूमि की विभाजन स्कीम मंगवाया जाना उचित है।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी का वाद एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 का काउन्टर क्लेम प्राथमिक डिक्री किया जाता है। भूमि ख0नं0 751 रकबा 0.44 है0 ग्राम महूकलां में दर्ज पक्षकारों के हिस्से अनुसार मीट्स एण्ड बाउण्ड्स से भूमि की विभाजन स्कीम मौके पर जाकर तैयार करने हेतु तहसीलदार गंगापुर सिटी को रू0 500/– फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। तहसीलदार गंगापुर सिटी को लिखा जावे कि वे उपरोक्त भूमि के मौके पर जाकर आदेशानुसार विभाजन स्कीम तैयार कर विभाजन स्कीम दो प्रतियो में मय नक्शा ट्रेस इस न्यायालय को भिजवावें। कमिश्नर फीस दोनों पक्षों द्वारा भुगतान की जावेगी । प्राथमिक डिक्री जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(विजेन्द्र कुमार मीना)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

Judi/Civil
Part IV-10

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6—जाब्ता दीवानी)
(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

अज अदालत उप जिलाकलेक्टर मुकाम गंगापुर सिटी
इजलास विजेन्द्र कुमार मीना, आर0ए0एस0

उनवान

[illegible]चन्द पुत्र रामलाल, गुर्जर निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
——वादी

बनाम

1. रमेश पुत्र रामलाल, गुर्जर निवासी महूकलां तहसील गंगापुरसिटी
2. सत्येश पुत्र रामलाल, गुर्जर निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
3. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी
4. उप पंजीयक, तहसील गंगापुर सिटी
——प्रतिवादीगण

दावा विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. —137 / 2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री कृष्ण गोपाल शर्मा, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई श्री विकास कुलश्रेष्ठ, एडवोकेट मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी का वाद एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 का काउन्टर क्लेम प्राथमिक डिक्री किया जाता है। भूमि ख0नं0 751 रकबा 0.44 है0 ग्राम महूकलां में दर्ज खातेदारों के हिस्से अनुसार मीट्स एण्ड बाउण्ड्स से भूमि की विभाजन स्कीम मौके पर जाकर तैयार करने हेतु तहसीलदार गंगापुर सिटी को रू0 500/— फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। तहसीलदार गंगापुर सिटी को लिखा जावे कि वे उपरोक्त भूमि के मौके पर जाकर आदेशानुसार विभाजन स्कीम तैयार कर विभाजन स्कीम दो प्रतियो में मय नक्शा ट्रेस इस न्यायालय को भिजवावें। कमिश्नर फीस दोनों पक्षों द्वारा भुगतान की जावेगी ।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 25.11.2019 को जारी किया गया ।

(विजेन्द्र कुमार मीना)
उप जिलाकलेक्टर
गंगापुर सिटी

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प पर्ची		
महनताना वकील			महनतानावकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijendra Kumar Meena
Date: 2020.03.06 16:32:46 IST
Reason: SelfAttested
Location: